भारत सरकार / **Government of India**
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय / Ministry of Labour & Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय / Directorate General of Mines Safety

सत्यमेव जयते

धनबाद, दिनांक 29.04.2020

2020 का कार्यालय आदेश संख्या- 1(1)2018-प्रशा.I/50

माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कार्यालय के दिनांक 27.02.2020 के टिप्पणी के अनुसार ऐसा देखा गया है कि इस निदेशालय के कुछ समूह क तथा समूह ख अधिकारी अपने विभागीय विषयों के निस्तारण हेतु माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के आवासीय कार्यालय में पहुँच जाते हैं । विभागीय विषयों के लिए माननीय मंत्री महोदय के आवासीय कार्यालय पर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास सर्वथा अनुचित है ।

अत: इस निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता हे कि वे अपनी किसी भी विभागीय समस्या अथवा पैरवी हेतु माननीय मंत्री महोदय के आवासीय कार्यालय पर संपर्क नहीं करें । उक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार समुचित विभागीय कार्यवाही की जाएगी ।

ह0/-

खान सुरक्षा महानिदेशक (स्था0 प्रभार)

ज्ञापन संख्या- 1(1)2018-प्रशा.I/3987-4072 /धनबाद, दिनांक 29.04.2020

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

1-11. सभी खान सुरक्षा उप-महानिदेशक ।

12-49. सभी खान सुरक्षा निदेशक/क्षेत्र के प्रभारी ।

50-51. सभी खान सुरक्षा उप-निदेशक/उप-क्षेत्र के प्रभारी ।

52. खान सुरक्षा निदेशक (सोमा), धनबाद । उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यालय आदेश को इस निदेशालय के बेवसाईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें ।

53-62. मुख्यालय एवं मध्य जोन के सभी अधिकारी ।

63-85. मुख्यालय एवं मध्य जोन के सभी अनुभागीय प्रधान ।

30/04/2020

खान सुरक्षा महानिदेशक (स्था0 प्रभार)